<u>ग्रामीण विकास विभाग</u>

<u>बिहार रूरल डेवलपमेंट सोसाईटी</u>

बिहार, पटना

पत्रांक 190025 पटना, दिनांक 27/06/14

ग्रा0वि0-9 (ख) BRDS- 68/2013

प्रेषक,

एस0 एम0 राजू,
सचिव ।

सेवा में,

<u>सभी जिला पदाधिकारी,</u>
सभी उप विकास आयुक्त,
बिहार ।

विषय :- मानव दिवस सृजन के आधार पर अनुबंध रद्द किए जाने के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में विभिन्न जिलों से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार दिनांक 31.03.2014 तक 12,500 मानव दिवस सृजित नहीं कर पाने वाले पंचायत रोजगार सेवकों एवं अन्य कर्मियों का अनुबंध रद्द कर दिया गया है ।

2. इस प्रसंग में विभाग द्वारा व्यापक समीक्षा की गयी । सम्यक् विचारोपरांत कार्यहित में विभाग द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि वैसे मनरेगा कर्मी, यथा कार्यक्रम पदाधिकारी, कनीय अभियंता, पंचायत रोजगार सेवक तथा पंचायत तकनीकी सहायक, जिनका अनुबंध दिनांक 31.03.2014 तक 12,500 मानव दिवस सृजित नहीं किये जाने के कारण रद्द कर दिया गया है और जिनपर वित्तीय अनियमितता के आरोप नहीं है, को कार्यहित में एक और मौका दिया जाय ।

3. अत: विभाग द्वारा यह निर्णय लिया गया कि तत्काल वैसे सभी मनरेगा कर्मी जिनका अनुबंध दिनांक 31.03.2014 तक 12,500 मानव दिवस सृजित नहीं किये जाने के कारण रद्द किया गया है, से अपील अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उन्हें दिसंबर 2014 तक लक्ष्य के अनुरूप मानव दिवस सृजित करने का एक और मौका निम्नांकित शर्तों के साथ देते हुए उनके अनुबंध को पुनर्बहाल किया जाय :-

(क) भविष्य में यह पूर्वोदाहरण नहीं बनेगा,

(ख) दिसम्बर 2014 तक वित्तीय एवं अन्य संसाधन के उपलब्ध रहते हुए भी मनरेगा कर्मियों यथा पंचायत रोजगार सेवक, पंचायत तकनीकी सहायक, इत्यादि की अक्षमता, अकर्मण्यता एवं लापरवाही से यदि लक्ष्य के अनुरूप मानव दिवस सृजित नहीं हो पाता है तो समीक्षोपरान्त उन्हें चयनमुक्त किया जा सकेगा, तथा

(ग) सभी मनरेगा कर्मी मानव दिवस सृजन के प्रति पूर्ण उत्तरदायी होंगे और यह मौका अंतिम मौका होगा । भविष्य में लक्ष्य के अनुरूप मानव दिवस सृजित नहीं किये जाने की स्थिति में समीक्षोपरान्त दोषी मनरेगा कर्मियों के विरूद्ध कार्रवाई की जा सकेगी और ऐसे अवसर नहीं दिये जायेंगे ।

कृपया उपरोक्त निदेश का अनुपालन करते हुए कृत कार्रवाई से विभाग को अवगत कराने की कृपा की जाय ।

विश्वासभाजन

(एस0 एम0 राजू) 27/6/14
सचिव